संख्या-41/2022/1092/001-54-2002-099-1-2021

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0103-आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-105/बा0वि0परि0/लेखा/2022-23, दिनांक 09 मई, 2022 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-25/2022/03/58-1-2022-2/1(26)/12, दिनांक 31.03.2022 द्वारा अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत 17 जनपदों के 199 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु कुल रू0 401.60 लाख (रू0 चार करोड़ एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि के सापेक्ष सिर्फ केन्द्रांश की धनराशि रू० 199.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी और राज्यांश की धनराशि रू0 202.60 लाख निर्गत होना अवशेष है। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-89-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8903-आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण के मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य के प्रावधान के सापेक्ष निर्गत केन्द्रांश रू0 199.00 लाख सम्भावित व्यय के दृष्टिगत पूर्व वर्ष के अवशेष राज्यांश के सापेक्ष रू0 106.66 लाख में से रू0 101.30 लाख (रू0 एक करोड़ एक लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन निर्माण कार्य के निर्धारित लक्ष्य/प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन के निर्माण लागत के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत निर्माण कार्य की अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु निर्धारित मानकों/ निर्देशों के अनुसार किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

3. धनराशि को व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। उक्त धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाईन/ दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है । बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

8. उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. निर्माण कार्यों के संबंध में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माण कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करा लिया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे। टाईम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन के संबंध में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 212 (7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानक/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि आहरित की जायेगी।

11. निर्माण कार्य की कार्यवाही शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. निर्माण कार्य के प्रगति की सूचना शासन को निदेशक, आईसीडीएस की संस्तुति सहित मासिक रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण अनुमोदित आगणन लागत/मानचित्र के अधीन रहते हुए ही किया जायेगा।

13. प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा। योजना हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

14. धनराशि के आहरण के पूर्व निर्विवाद भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

15. आहरित धनराशि की उपयोगिता की स्थिति से ससमय अवगत कराया जाय।

16. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासनादेश संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 व शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. प्रश्नगत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण शासनादेश संख्या-3391/60-2-15-2/3(12)07 टी.सी., दिनांक 20.01.2016 द्वारा निर्गत दरों के आधार पर कन्वर्जेन्स के माध्यम से किया जा रहा है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त धनराशि शासनादेश संख्या-2675/60-2-16-2/1(26)/12 दिनांक 19.10.2016 में निर्गत निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा एवं पंचायती राज विभाग के सुसंगत अनुदान से वहन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,01,30,000 (रुपये एक करोड़ एक लाख तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 4235021028903 आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-10-X-2022-23, दिनांक-24-5-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-41/2022/1092/001-54-2002-099-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ.प्र., प्रयागराज।
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कन्वर्जेन्स के माध्यम से मनरेगा के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।

4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कन्वर्जेन्स के माध्यम से पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वहन की जाने वाली धनराशि को शीघ्र अवमुक्त करने का कष्ट करें।

5. आयुक्त , ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0।

6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।

7. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने का कष्ट करें।

8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

10. राज्य योजना आयोग-1/वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।

11. आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश।

12. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।